//1//

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर ए एस)
राजस्व प्रकरण संख्या – 99 / 2022

उनवान

1. रामदेव पुत्र भंवरलाल
2. पांची पुत्री भंवरलाल
3. सफु पुत्री भंवरलाल समस्त जाति भांबी निवासी ग्राम नान्दला तहसील नसीराबाद अजमेर।

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादी :– जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक :– 13.5.24

–: निर्णय :–

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम नान्दला में वादीगण की खातेदारी / काश्तकारी की आराजी का विवरण निम्न प्रकार है :–

वर्किंग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
1881	1.00	2125 मिन	6–0–0

वर्किंग खसरा नम्बर 2125 के मूल खातेदार भंवरलाल पुत्र मांगीलाल है जिनकी मृत्यु के बाद उक्त आराजी वादीगण के नाम दर्ज करनी चाहिये थी किन्तु आराजी मुतनाजा वादीगण के नाम दर्ज करने के बजाय सिवायचक दर्ज कर दी अतः हाल खसरा नम्बर 1881 का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरियें नोटिस तलब किया गया। राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वर्किंग जमाबन्दी खाता संख्या 300 / 1 में खसरा नम्बर 2125 रकबा 6–0–0 भंवरलाल पुत्र मांगीलाल के नाम दर्ज थी। वर्तमान में भूमि सिवायचक है। अतः प्रतिवादी वादी को ... का अधिकारी है।

वाद पत्र व जवाब के आधार पर प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.01.03 10:27:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

1. आया आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादीगण खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है ?

-- वादीगण

2. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किय तथा स वादी रामदेव का शपथ पत्र पेश किया। राज0 पैरोकार ने साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादीगण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :-

तनकी संख्या 1 :-

वादी का कथन है कि वाद पत्र की में अंकित आराजी हाल खसरा नम्बर 1881 रकबा 1-0-0 उनकी पुश्तैनी खातेदारी की है जिसे हाल राजस्व अभिलेख में त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दिया है। नामान्तकरण संख्या 49 अनुसार चौसाला खसरा नम्बर 1331 रकबा 6-0-0 पर भंवरलाल पुत्र मांगीलाल को खातेदार दर्ज किया गया। चौसाला खसरा नम्बर 1831 का कुल रकबा 30-15-0 है वादीगण द्वारा समपूर्ण रकबे की स्थिति स्पष्ट नही की है। वंर्किग खसरा नम्बर 2125 रकबा 6-0-0 भंवरलाल पुत्र मांगीलाल के नाम खातेदारी दर्ज है। वंर्किग खसरा नम्बर 2125 का कुल रकबा 31-14-0 है वादीगण द्वारा उक्त सम्पूर्ण रकबे की हाल राजस्व अभिलेख अनुसार स्थिति स्पष्ट नही की है। वादीगण द्वारा वाद के समर्थन में खसरा गिरदावरी सम्वत् 2054 से 2057 व 2046 से 2049 प्रस्तुत की है किन्तु उक्त खसरा गिरदावरी में आराजी मुतनाजा पडत दर्ज है। वादीगण अथवा अनके पूर्वज का आराजी मुतनाजा पर कब्जा सिद्व नही होता है। वादीगण ने हाल खसरा नम्बर 1881 रकबा 1.00 की खातेदारी का अनुतोष चाहा है किन्तु हाल खसरा नम्बर पर कब्जे के प्रमाण में कोई दस्तावेज भी पेश नही किये है। राज0 पैराकार द्वारा वाद का खण्डन किया गया है। साबिक राजस्व अभिलेख के सम्पूर्ण रकबे की स्थिति स्पष्ट नही होने के कारण आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण नही कहा जा सकता है। तनकी संख्या 1 विरूद्व वादीगण निर्णित की जाती है।

अतः ग्राम नान्दला के हाल खसरा नम्बर 1881 रकबा 1.00 की आराजी पर वादीगण का वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.01.03 10:27:03 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

रामदेव बनाम राज0 सरकार

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राज0 अधि0 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 99 / 2022
पेश करने की दिनांक – 01.07.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक हीरालाल माली मुददई अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम नान्दला के हाल खसरा नम्बर 1881 रकबा 1.00 की आराजी पर वादीगण का वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक—— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

दस्तखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 13 माह 5 सन् **2024** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
निजान	निजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.01.03 10:27:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद